



संख्या : /जी०एस०(शिक्षा)/A3-116(4)/2020

प्रेषक,

**डा० रंजीत कुमार सिन्हा,**  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलपति,**  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड**  
महोदय,

देहरादून: दिनांक 24 मार्च, 2022

कृपया अपने पत्र संख्या: 660/मान्यता/के०यू०/2019-20 दिनांक 04.09.2019 एवं पत्र सं०-2163/के०यू०/मान्यता/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 21.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ को बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़	बी०सी०ए०	30 सीट (प्रति शैक्षणिक सत्र)	2019-20 2020-21 2021-22

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2- संस्थान में U.G.C/शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। जिन मानकों को पूर्ण कराने हेतु शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय इस सचिवालय के पत्र संख्या: 2565 दिनांक 13 जनवरी, 2020 के क्रम में शासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3- विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी, ताकि अध्ययनरत् छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3961 (1)/जी०एस०/शिक्षा/A3-116(4)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, लक्ष्मण सिंह महर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० मदीरिया)  
कुलाधिपति के अपर सचिव।